यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर काशीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर काशीपुर के माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री गो वंद कुमार संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री एफ आर खान व0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.11.2017 से 16.11.17 तक श्री के एल भट्ट व0 लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 18.01.17 से 27.01.17 तक तक श्री हिमांशु म ण लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/15 से 03/16 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/16 एवं 03/17 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः हरिद्वार रोड पर कुंडा तिराहे से आगे जसपुर गढ़ी नेगी नोदही, धरमपुर एवं कुंडा गढ़ी नेगी मार्ग का बाया हिस्सा तथा काशीपुर जसपुर मार्ग पर अनाज मंडी सहित ढेया नदी के पल तक एवं जसपुर से रामनगर बाईपास रोड पर बैलजोड़ी के पास ठेला नदी।

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	------
2015-16	2016.15
2016-17	2180.21

(II) (ब) बजट का ववरण:-

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
शून्य								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....शून्य.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. आयुक्त
2. एडीशनल क मश्नर
3. ज्वाइंट क मश्नर
4. डप्टी क मश्नर
5. असिस्टेंट क मश्नर
6. वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर काशीपुर को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर काशीपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

व्ययः शून्य (इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है)।

राजस्वः 03/17

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-**2** 'अ'

(अति गम्भीर अनिय मतताएं)

प्रस्तर- शून्य

भाग-**2** **'ब'**

भाग दो अ

प्रस्तर- 01 अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 15.92 लाख

उत्तराखंड मूल्यव र्धत कर अ धनियम की धारा 58 (1) (xi) के अनुसार इनपुट टैक्स के लाभ के रूप मे कसी धनरा श का गलत दावा कया जाता है या कसी मथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पाँच हजार रुपए या दावकृत धनरा श की तीन गुना धनरा श जो भी अ धक हो अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर , काशीपुर के अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क व्यापारी M/s बी आर पेपर्स टिन नं -05009002110 कर निर्धारण वर्ष 2011-12 द्वारा ` 3,59,73,130 पर ` 6,36,929 की आइ टी सी का क्लेम कया गया था। कर निर्धारण आदेश के अनुसार व्यापारी द्वारा घो षत खरीद मे से ` 16,09,820 की ही खरीद का सत्यापन हो पाया था जिस पर ` 2,16,135 की आई टी सी देय था। इस प्रकार अ धक क्लैम की गयी आई टी सी `4,45,440 को सत्यापन के अभाव मे अस्वीकार कया गया था । गलत आइ टी सी क्लेम करने के परिप्रेक्ष मे अर्थदण्ड की कार्यवाही की जानी थी जो क लेखापरीक्षा ति थ तक नहीं की गयी थी। अतः गलत आइ टी सी ` 4,45,440 पर तीन गुना ` 13,36,320 का अर्थदण्ड व्यापारी पर आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कए जाने का आश्वासन दिया गया।

(ब) कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर , काशीपुर के अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क व्यापारी M/s कौसल्या ट्रेडर्स टिन नं -05008075663 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा ` 4,03,37,683 की धान की खरीद पर 2 प्रतिशत की दर से तथा ` 74,57,275 एवं ` 1,89,60,333 पर 5 प्रतिशत की दर से कुल ` 21,27,634 की आई टी सी का दावा कया गया कर निर्धारण आदेश के अनुसार आई टी सी का सत्यापन वभागीय बैब साइट से करने एवं अ सस्टेंट क मश्नर, वा णज्य कर खंड- 1 काशीपुर से करने के पश्चात क्लैम की गयी आई टी सी ` 21,27,634 मे से ` 55,386 की आई टी सी सत्या पत नहीं पायी गयी । कर निर्धारण अ धकारी द्वारा केवल ` 55386 की आई टी सी को अस्वीकार कया गया, जब क अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था। अतः असत्या पत आई टी सी ` 55386 का तीन गुना ` 1,66,158 का अर्थदण्ड व्यापारी पर आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कए जाने का आश्वासन दिया गया।

(स) कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर , काशीपुर के अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क व्यापारी M/s कुमायू टिम्बर टिन नं - 05002353148 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 व्यापारी द्वारा `7951149 की खरीद पर 13.5 प्रतिशत की दर से एवं ` 4,92,345 की खरीद पर 5 प्रतिशत

की दर से कुल ` 10,98,022 की आई टी सी का क्लेम किया गया था। आई टी सी का सत्यापन वभागीय बैब साइट से करने एवं आइ टी सी का सत्यापन अ सस्टेंट क मश्नर, वा णज्य कर खंड-3 काशीपुर से करने के पश्चात क्लैम की गयी आई टी सी ` 10,98,022 मे से ` 29,938 की आई टी सी सत्या पत नहीं पायी गयी । कर निर्धारण अ धकारी द्वारा केवल ` 29938 की आई टी सी को अस्वीकार कया गया है जब क अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था। अतः गलत क्लेम की गयी आई टी सी ` 29,938 का तीन गुना ` 89,814 का अर्थदण्ड व्यापारी पर आरोपणीय था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कए जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 01 आई टी सी को reverse न किए से राजस्व क्षति ` 23,809

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर , काशीपुर के अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क व्यापारी M/s छाया ट्रेडिंग कम्पनी टिन नं -05002297858 कर निर्धारण वर्ष 2014-15 मे व्यापारी द्वारा कर निर्धारण आदेश के अनुसार कुल खरीद ` ` 33586795 की घो षत की थी जिसमे से `` 88,45,617 की जूस की खरीद बताई थी तथा ` 83,69,430 का वक्रय घो षत किया गया था। इस प्रकार ` 47,61,187 खरीद के सापेक्ष कम बिक्री बताई गयी थी जब क इस पूरी खरीद पर आई टी सी क्लेम कया गया था । यहा यह भी उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा distributor incentive ` 5,90,287 घो षत कया गया। जिसके सापेक्ष कोई साक्ष्य पत्रवाली पर उपलब्ध नहीं था इस प्रकार कम बिक्री `` 4,76,187 पर 5 प्रतिशत की दर से ` 23,809 की आई टी सी reverse कया जाना था। जिसे नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर-02 कोषागार के सीटीआर से डीसीआर मे जमा धनराशि का मिलान न होना

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) -3, राज्य कर, काशीपुर की चयनित माह मार्च 2017 की दैनिक संग्रह पंजिका एवं कोषागार CTR के मलान मे दैनिक संग्रह पंजिका मे दर्शाई गयी निम्न ल खत धनरा श कोषागार के सीटीआर से मलान नहीं हो पायी ।

क्र0सं0 (डीसीआर का)	टिन सं0	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह का नाम	चालान का दिनांक	धनरा श (डीसीआर के अनुसार)	कोषागार के अनुसार जमा धनरा श
02	5015988341	M/S SHAMA ENTERPRISES	2016-17	MARCH	15.03.2017	2,00,000	10,000
21	5017591266	A.K. AGRO INDUSTRIES	2016-17	OCT-DEC	21.03.2017	12100	------
28	5015917337	M/S G.S. INDUSTRIES	2016-17	JANUARY	02.03.2017	311278	-------
82	5002454804	M/S SUSHIL TRADERS JASPUR	2010-11	EAR	23.03.2017	19185	-------
103	5002422697	M/S SAHOTA PAPERS LIMITED	2016-17	0	22.03.2017	55854	-------

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

प्रस्तर-03 अर्थदण्ड का आरोपण न किए जाने से राजस्व क्षति ` 4.03 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत कसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नही कया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत कन्तु अ धक से अ धक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो और देय कर का 50% यदि कर ₹10000 से अ धक हो का दायी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर, काशीपुर के अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क निम्न ल खत व्यापारियो द्वारा देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया गया था जिसका ववरण निम्न ल खत है।

व्यापारी का नाम एवं कर निर्धारण वर्ष	**माह का नाम**	**कर जमा करने की** अनुमन्य **दिनांक**	**कर जमा करने की वास्तविक तिथि**	**कर की धनराशि**	**आरोपणीय अर्थदण्ड (कर का 10 प्रतिशत)**
M/s अजय अग्रवाल कर निर्धारण वर्ष-2014-15 टिन न0-05011632459	नवम्बर 2014	20.12.2014	23.12.2014	448500	44850
	जनवरी 2015	20.02.2015	23.02.2015	1556170	155617
	फरवरी 2015	20.03.2015	27.03.2015	583945	58395
M/s राजाराम अशोक कुमार कर निर्धारण वर्ष-2014-15 टिन न0-05002407177	जनवरी 2015	20.02.2015	24.02.2015	1411715	141172
	योग			4000330	4,00,034

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-34/2014-15	-	01
CT-12/2015-16	-	01,02
CT-39/2016-17	01,02	01,02,03

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर काशीपुर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री नीरज कुमार	डप्टी क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-3, राज्य कर काशीपुर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(3) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य- अ भलेखो का रख रखाव अच्छी तरह कया जा रहा है।

(4) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य- शून्य